कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)

6 नवंबर, 2019

व्यापार सूचना
बासमती चावल के लिए अनुबंधों का ऑनलाइन पंजीकरण

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 1 अगस्त, 2016 को जारी की गई भारतीय अधिसूचना संख्या 18 / 2015-20 भारत, नई दिल्ली (डी.जी.एफ.टी), बासमती चावल के निर्यात की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें शिपमेंट से पहले एपीडा, नई दिल्ली के साथ अनुबंध का पंजीकरण महत्वपूर्ण है।

इसलिए, एपीडा ने अनुबंधों के ऑन-लाइन पंजीकरण और पंजीकरण-सह आवंटन प्रमाणपत्र (आर.सी.ए.सी) जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया विकसित की है। डी.जी.एफ.टी अधिसूचना की अन्य शर्तें और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

1. निर्यात किए जाने वाले चावल की अनाज की लंबाई 6.61 मि.मी से अधिक और अनाज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 3.5 से अधिक हो।

2. कस्टम ई.डी.आई पोर्ट के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। इंडो बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा पर गैर-भूमि लैंड कस्टम स्टेशनों (एल.सी.एस) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति है, जो कि डी.जी.आई.एफ.टी रीजनल ऑथोरिटीज (आर.ए) कोलकाता और पटना के साथ मात्रा के पंजीकरण के अधीन है और समय-समय पर मात्रा पंजीकरण के उद्देश्य से डी.जी.एफ.टी द्वारा अधिसूचित ऐसे आर.ए को नामित किया जाएगा।

3. मार्किंग के साथ खाली छपे हुए गनी बैग्स के निर्यात से भारतीय बासमती चावल के उत्पाद का संकेत मिलता है, जैसे भी, बासमती चावल की खेप के साथ निर्यात किए जाने के अतिरिक्त और अन्य स्थितियों में अनुमति नहीं दी जाती है, जिसमें भी कुल संख्या का 2% से अधिक नहीं होगा। बासमती चावल के भरे हुए गन्ने के थैलों का निर्यात किया जा रहा है।

4. थोक अथवा 50 किलोग्राम या उससे अधिक के बैग में निर्यात किए गए बिना-बैग वाले भारतीय बासमती चावल की स्थिति में मार्किंग के साथ खाली मुद्रित गनी बैग का निर्यात उत्पाद को भारतीय बासमती चावल होने का संकेत देता है, वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निर्यात किए जा रहे खाली बैगों की खेप और आकार की कुल मात्रा जिसे किसी भी तरीके से अनुमति दी जाएगी।

5. बासमती चावल के निर्यात को स्वीकृति (डी/ए) के समक्ष दस्तावेज के आधार पर तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इस प्रकार के निर्यात को बैंक गारंटी या ई.सी.जी.सी गारंटी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

6. रूस फेडरेशन को समय-समय पर एपीडा द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा जारी प्री-शिपमेंट गुणवत्ता प्रमाणन के अधीन अनुमति दी जाती है, जो समय-समय पर एपीडा वेबसाइट पर अपडेट की जाती है।

7. संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात केवल चावल मिलों / प्रसंस्करण इकाइयों से पंजीकृत किया जाएगा, जिन्हें पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 04.02.2016 की OM फा.सं 0119-36 (2010- POD) के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।

8. इंडोनेशिया में निर्यात के लिए इंडोनेशिया कृषि संगरोध एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में से एक से पूर्व-शिपमेंट परीक्षण आवश्यक है।

9. ईरान को चावल के निर्यात के लिए पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण की आवश्यकता एपीडा ट्रेड नोटिस के अनुसार जून 17,2014 के अनुसार है।

10. डी.जी.एफ.टी अधिसूचना संख्या 29 / 2015-2020 के अनुसार, 4 नवंबर, 2019 को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों को तत्काल प्रभाव से निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी) / निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ई.आई.ए) द्वारा 'निरीक्षण प्रमाण पत्र' जारी करने की अनुमति है। तदनुसार आवेदकों को यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों में बासमती चावल के निर्यात के लिए एपीडा द्वारा आर.सी.ए.सी जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ई.आई.सी / ई.आई.ए द्वारा जारी किए गए प्रमाणन के प्रमाणन को अपलोड करना आवश्यक होगा।

11. जी.ए.सी.सी द्वारा अनुमोदित चावल प्रतिष्ठानों से चीन को निर्यात की अनुमति है।

12. सउदी अरब में निर्यात के लिए उन चावल प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने 1 नवंबर 2019 से लागू आई.एस.ओ 22000 और / या एच.ए.सी.सी.पी जैसे खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है। व्यापारी निर्यातक सऊदी अरब में बासमती चावल का निर्यात कर सकते हैं, हालांकि, आर.सी.ए.सी.ई.टी जारी करने से पहले आवेदकों को चावल प्रतिष्ठान से एक प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा जहां से चावल खरीदा गया है।

13. यह व्यापार सूचना एपीडा द्वारा बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के ऑन-लाइन पंजीकरण के संबंध में जारी किए गए सभी पूर्व व्यापार सूचनाओं के अधिप्राप्ति में जारी किया जा रहा है।

प्रक्रिया : बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के पंजीकरण आवेदन को पंजीकृत निर्यातक सदस्यों को उपलब्ध किए गए उपयोगकर्ता आई.डी और पासवर्ड का उपयोग करके एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in पर निर्यातकों द्वारा ऑनलाइन भरा जा सकता है। अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले एल.सी / अनुबंध / प्रोफार्मा चालान की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी।

आवेदक विशेष रूप से घोषणा करेगा कि निर्यात को स्वीकृति (डी/ए) के खिलाफ दस्तावेज़ के आधार पर नहीं किया जा रहा है जब तक कि इस तरह के निर्यात को बैंक गारंटी या ई.सी.जी.सी गारंटी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

प्रसंस्करण शुल्क : वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित के रूप में फा.सं. 12/8 / 2008-ई.पी (एग्री.एल.एल) दिनांकित 3,2014 प्रसंस्करण शुल्क आर.एस.35-40 प्रति मीट्रिक टन की दर से (अनुबंधित राशि का 30 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्लस जी.एस.टी @ 18%) के माध्यम से लाइन पेमेंट गेटवे पर भुगतान किया जाएगा। सेवा कर में कोई भी परिवर्तन सरकार द्वारा घोषणा के आधार पर लागू होगा।

पंजीकरण : आवेदन की जाँच एलसी / अनुबंध / प्रोफार्मा चालान की सॉफ्ट कॉपी के साथ की जाएगी और आरसीएसी को भी ऑन-लाइन जारी किया जाएगा और आवेदक के लॉगिन पृष्ठ पर एपीडा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य निर्यात दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क जमा करने के लिए आवेदक आर.सी.ए.सी का प्रिंटआउट ले सकता है।

मान्यता : आर.सी.ए.सी को जारी करने की तारीख से 45 दिनों की शिपमेंट मान्यता के साथ सभी निर्यातकों को जारी किया जाएगा। इसलिए, अनुबंध निर्यातकों के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के लिए लागू की गई मात्रा वह है जिसे अगले 45 दिनों में भेजने की योजना है।

एस.एस.नैय्यर
महाप्रबंधक